न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 82/2020
निर्णय दिनांक : 21.01.2022

1. अर्जुन कालोनाईजर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री सुशील भगेरीया पुत्र श्री परमेश्वर लाल रजिस्टर्ड पता– प्लाट नम्बर 354, डबल स्टोरी, ग्राउण्ड फ्लोर, न्यू राजिन्दर नगर, न्यू दिल्ली।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।
2. कल्याण पुत्र रामनाथ जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम देवरी तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम देवरी पटवार, हल्का मांग्यावास, भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 395 रकबा 0.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.3600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.1500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.4700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.1000 हैक्टयर स्थित है। उक्त मद संख्या एक में वर्णित खातेदारी भूमि में हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी प्रार्थी के नाम एवं हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्त वर्णित समस्त भूमि की वर्तमान किस्म खातली 2 दर्ज की हुई है। उक्त वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 के गत खसरा नम्बर 251/439 रकबा 6 बीघा थे तथा उक्त गत बटा खसरा नम्बर 251/439 मूल खसरा नम्बर 251 रकबा 40 बीघा 01 बिस्वा में से निर्मित किये गये थे। गत खसरा नम्बर 251 रकबा 40 बीघा 01 बिस्वा के दौराने सेटलमेन्ट टुकडे किया [illegible] खसरा नम्बर 251 रकबा 34 बीघा 01 बिस्वा एवं गत [illegible] 6 बीघा निर्मित किये गये। उक्त गत खसरा नम्बर 251 रकबा [illegible] बीघा 01 बिस्वा का [illegible]ना खसरा नम्बर 129 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा [illegible]। उक्त गत खसरा [illegible] 129 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा की मिसल हकीयत सम्वत् 1987 के अनुसार किस्म बंजड दोयम दर्ज रही है तथा इससे बने खसरा नम्बर 251 रकबा 40 बीघा 01 बिस्वा की संवत् 2015 से 2034 के अनुसार किस्म बंजड दोयम रही है। वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:34:21 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी में उक्त वर्णित खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर की वर्तमान किस्म खातली के रूप में दर्ज है जबकि हाल खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 की भूमि किसी भी प्रकार से खातली या नदी/नाले के रूप में नही है और ना ही किसी नदी/नाले के बहाव क्षेत्र की भूमि है, उक्त भूमि के मूल गत खसरा नम्बर 251 की किस्म बंजड दोयम रही है, दौराने सेटलमेन्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए, अंकन की लिपिकीय भूल करते हुए, सहवनवश गत खसरा नम्बर 251/439 के नये खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 बनाते समय उक्त समस्त नये खसरा नम्बरान की किस्म खातली के रूप में दर्शा दी, जबकि संवत् 2015 से 2034 के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उक्त हाल खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 का पुराना खसरा नम्बर 251/439(जो कि मूल खसरा नम्बर 251 में से निर्मित किया गया है) की सही किस्म बंजड दोयम रही है। उक्त समस्त भूमि की किस्म पूर्व में कभी खातली दर्ज नही रही है तथा ना ही उक्त भूमि अब्दुल रहमान से प्रभावित भूमि है, फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के बाबत् अनावश्यक ही बिना पूर्व राजस्व रिकॉर्ड की जांच किये अब्दुल रहमान के सम्बन्ध रेफरेन्स कायम कर दिये है, जो पूर्णतया गलत एवं अवैध कार्यवाही है तथा इस सहवनवश हुए गलत इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है, जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं उचित है। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के उपायुक्त जोन 5 द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के बाबत् चाही गई रिपोर्ट में भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह माना है कि उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 251/439 की किस्म बंजड दोयम रही है। उक्त हाल खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 की किस्म बाबत अंकन की लिपिकीय त्रुटि करते हुए सही किस्म बंजड दोयम के स्थान पर खातली दर्ज किया जाना राजस्व कर्मचारियों की घोर लापरवाही को दर्शित करता है जो सरसरी तौर पर दुरूस्त फरमाया जाने योग्य है तथा हाल खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 की वर्तमान किस्म खातली के स्थान पर दुरूस्त फरमा कर सही किस्म बंजड दोयम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं उचित है। दौराने सैटलमेन्ट कार्यवाही भू–प्रबन्ध कर्मचारी एवं अधिकारीगण केवल मात्र पुरानी प्रविष्टियों को रिपिट कर सकते है किसी भूमि की किस्म वर्गीकरण का परिवर्तन नही किया जा सकता है, इसके बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा सहवनवश अंकन की भूल करते हुए पूर्व रिका[illegible]रित उक्त भूमि की किस्म बंजड दोयम के स्थान खात[illegible] इस आधार पर गलत रेफरेन्स बना दिये है, जो प्रारम्भ से ही शून्य [illegible] अवैध कार्यवाही है तथा जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्[illegible] एवं उचित है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित उक्त गलत इन्द्राजात् को दुरूस्त कर सही किस्म का अंकन किये जाने बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से कई बार निवेदन कर चुका है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त किये जाने की कोई कार्यवाही नही की है और अप्रार्थी संख्या 1 ने

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:54:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी से दिनांक 16.12.2020 को कहा कि उक्त गलत इन्द्राजात की दुरूस्ती श्रीमान एस.डी.ओ. साहब के आदेश से ही की जा सकती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड में उक्त हाल खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 की किस्म बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर खातली के स्थान पर सही किस्म बंजड दोयम अंकन किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 रकबा 1.79 हैक्टेयर वाके ग्राम देवरी, पटवार हल्का मांग्यावास, भू.अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की किस्म बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर उक्त हाल खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 रकबा 1.79 हैक्टेयर की वर्तमान किस्म खातली के स्थान पर दुरूस्त फरमा कर सही किस्म बंजड दोयम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। दिनांक 04.03.2021 को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम देवरी के खसरा नम्बर 395 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.36 हैक्टयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.47 हैक्टयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.10 हैक्टयर, कुल किता 7 कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर भूमि अर्जुन कोलोनाईजरर्स प्रा.लि. 425, सोमदत चैम्बर द्वितीय, 9 भिखाजी कामा पैलेस नई दिल्ली, जरिये निदेशक कुमार मौसमी भट्टाचार्य पुत्री श्री डी.पी. भट्टाचार्य निवासी नई दिल्ली हिस्सा 1/2 खातेदार, कल्याण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर जे.डी.ए के सर्वे से अमानीशाह नाला का रेफरेन्स का नोट लगा हुआ है। उक्त खसरा नम्बर में वर्तमान जमाबन्दी अनुसार हिस्सा 1/2 प्रार्थी एवं हिस्सा 1/2 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 की वर्तमान जमाबन्दी अनुसार किस्म खातली 2 दर्ज है। खसरा नम्बर 395 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.36 हैक्टयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.47 हैक्टयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.10 हैक्टयर का भू-प्रबन्ध विभाग तुलनात्मक (मिलान क्षेत्रफल) अनुसार पूर्व खसरा नम्बर 251/439 था जिसका रकबा 6 बीघा था संवत् 2015-34 के भू-प्रबन्ध विभाग खतौनी बंदोबस्त के खाता 59 में खसरा नम्बर 251 रकबा 40.01 बीघा किस्म बंजड दोयम अंकित थी। भू प्रबन्ध विभाग तुलनात्मक पत्र अनुसार खसरा न. 251/439 रकबा 6 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403 बने व खसरा नम्बर 251 रकबा 34.01 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 344, 345 मि., 370 मि. बने। मिलान क्षेत्रफल ग्राम देवरी सम्वत् 2015 से 2034 के अनुसार खसरा न. 251 रकबा 40.01 बीघा

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested

के साबिका खसरा नम्बर 129 45.06 बीघा रहा है। मिसल हकीयत बंदोबस्त मौजा देवरी नम्बर हदवात 210 तहसील व निजामत जैपुर संवत 1987 के खाता सं. 1 खसरा नम्बर 129 रकबा 45.06 बीघा किस्म बंजड दोयम अंकित थी व उक्त के संवत् 2015 से 2034 बंदोबस्त में नये खसरा नम्बर 251 रकबा 40.01 बीघा बने जिसके भू प्रबन्ध विभाग खतौनी बंदोबस्त के खाता सं. 59 के अनुसार खसरा न. 251 रकबा 40.01 बीघा की किस्म बंजड दोयम अंकित थी। उक्त खसरा नम्बरों की भूमि पूर्व किस्म बंजड दोयम रही है। दिनांक 24.12.2021 को प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुश्री अभिलाषा शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अलम में लाई गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम देवरी पटवार, हल्का मांग्यावास, भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 395 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.36 हैक्टयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.47 हैक्टयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.10 हैक्टयर, कुल किता 7 कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर की वर्तमान किस्म खातली के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर किस्म बंजड दोयम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दियें जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:54:21 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर